न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

(1) – निगरानी संख्या–87 / 2014–15 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0

1– ओमप्रकाश, 2. धर्मा, 3. अरविन्द, 4. बृजकिशोर पुत्रगण गंगाराम, 5. इन्दो देवी पत्नी शिवचरण पुत्रवधू गंगाराम, 6. दीपक, 7. गौरव, 8. सौरव पुत्रगण शिवचरण सिंह, 9. श्रीमती रामरती देवी पत्नी चन्द्रप्रकाश, 10. नरेन्द्र, 11. सचिन पुत्रगण चन्द्रप्रकाश पौत्र गंगाराम, निवासी–शाहअलीपुर अब्दुल सरतार, पो0–अकबराबाद, तहसील नजीमाबाद, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, 12. महेन्द्र सिंह पुत्र हरदेव सिंह, निवासी–पुण्डीर खुर्द, परगना कीरतपुर, तहसील नजीमाबाद, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश।

बनाम

1– राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 हीरामणी, निवासी–ग्राम काशीपुर, पट्टी सुखरौ, तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल, 2. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, पौड़ी।

(2) – निगरानी संख्या–88 / 2014–15 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0

1– महेन्द्रसिंह, 2. सत्यपाल उर्फ सत्य पुत्रगण हरदेव, निवासी–पुण्डीर खुर्द, परगना कीरतपुर, तहसील नजीमाबाद, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश।

बनाम

1– राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 हीरामणी, निवासी–ग्राम काशीपुर, पट्टी सुखरौ, तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल, 2. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, पौड़ी।

उपस्थित	:	श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकर्तागण	:	श्री एस0एस0 नेगी।
अधिवक्ता उत्तरदाता	:	श्री एल0सी0 सेमवाल।

उक्त निगरानियों में निगरानीकर्तागण उपरोक्त ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी संख्या–8 / 13–14 राजेन्द्र प्रसाद बनाम महेन्द्रसिंह आदि एवं निगरानी संख्या–9–13–14 राजेन्द्रसिंह बनाम ओमप्रकाश आदि अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0 में पारित निर्णयादेश दिनांक 08–04–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इन निगरानियों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैः–

ओमप्रकाश एवं गंगाराम ने दिनांक 12–01–2013 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार, कोटद्वार के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनके पिता गंगाराम एवं दादी

हुकमो देवी पत्नी स्व0 धन्ना कि क्रमशः दिनांक 28–08–2006 एवं 04–11–1995 को मृत्यु हो चुकी है जिनके जायज वारिस निम्न 11 व्यक्ति हैः–

1. बृजकिशोर, 2. अरविन्द, 3. ओमप्रकाश, 4. धर्मा पुत्रगण, गंगाराम, 5. श्रीमती इन्द्रो देवी पत्नी स्व0 शिवचरण पुत्रवधु स्व0 गंगा राम, 6. दीपक, 7. गौरव, 8. सौरव पुत्रगण स्व शिवचरण पौत्रगण स्व गंगाराम, 9. श्रीमती रामरती देवी पत्नी स्व0 चन्द्रप्रकाश पुत्रवधु स्व0 गंगाराम, 10. नरेन्द्र, 11. सचिन पुत्रगण स्व0 चन्द्रप्रकाश पौत्रगण स्व0 गंगाराम।

अतः उसके पिता एवं दादी के नाम ग्राम काशीपुर, पट्टी तहसील कोटद्वार के खाता संख्या–21 में दर्ज कुल सम्पत्ति के 1/2 हिस्से के जायज वारिस उक्त 11 लोग है तथा 1/2 हिस्से के वारिस स्व0 हुकमो देवी के दूसरे पुत्र स्व0 हरदेव के परिवार के जायज वारिस महेन्द्रसिंह व सत्यपाल उर्फ सत्ते पुत्र हरदेव है तद्नुसार विरासतन दाखिल खारिज चलवाने की कृपा की जाय।

उक्त प्रार्थना पत्र पर राजस्व उपनिरीक्षक, एवं राजस्व निरीक्षक, दुगड्डा से जांच आख्या प्राप्त की गई तथा इश्तिहार जारी किया गया और अंततः कोई आपत्ति प्राप्त न होने के आधार पर नामान्तरण प्रार्थीगण के नाम मृतक गंगाराम एवं हुकमो देवी के अंश की 1/2 हिस्से का नामान्तरण प्रत्येक के हिस्से का अंश/क्षेत्रफल सहित आदेश दिनांक 11–03–2013 से स्वीकार किया गया।

आदेश दिनांक 11–03–2013 के विरूद्ध राजेन्द्र प्रसाद/उत्तरदाता ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17–04–2013 तहसीलदार, कोटद्वार के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पिता ने तत्कालीन भाबर रिवाज के अनुसार श्रीमती हुकमो देवी से 24 बीघा भूमि खरीदी थी जिसका दाखिज खारिज दिनांक 20–02–1970 को उसके पिता के पक्ष में हुआ है तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त अभिलेखों में उसका नाम दर्ज हुआ है परन्तु तहसीलदार के आदेश दिनांक 11–03–2013 से उनके हिस्से की भूमि भी स्व0 गंगाराम एवं हुकमो देवी के वारिसों में बांट दी गई है जबकि उसे उक्त कार्यवाही में कोई नोटिस नही दिया गया है यद्यपि वह सहखातेदार था। आदेश दिनांक 11–03–2013 की जानकारी उसे दिनांक 15–04–2013 को हुई है अतः कार्यवाही को पुनर्स्थापित कर उसे सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर नामान्तरण प्रकरण निस्तारित किया जाय। उन्होंने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के साथ धारा–5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है।

उक्त पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र को विद्वान तहसीलदार ने यह कहते हुए कि "पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र एवं विलम्ब माफी प्रार्थना पत्र में मृतक के वारिस गलत अंकित किये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति अंकित नही है वह खतौनी में सहखातेदार है तथा आपत्ति मूल रूप से कब्जे के सम्बन्ध में है जबकि आदेश धारा–34 के अन्तर्गत विरासती आदेश है। ऐसी दशा में पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है वादी चाहे तो कब्जे के सम्बन्ध में उचित धारा के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अपने हक का लाभ प्राप्त कर सकता है" आदेश दिनांक 13–05–2013 से अस्वीकृत कर दिया।

उक्त आदेश दिनांक 13–05–2013 के विरूद्ध राजेन्द्र प्रसाद द्वारा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कोटद्वार के समक्ष दो अपीलें प्रस्तुत की गई जिन्हें विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कोटद्वार ने बलहीन होने के कारण आदेश दिनांक 23–03–2014 से निरस्त कर आदेश दिनांक 11–03–2013 को यथावत रखा।

आदेश दिनांक 29–03–2014 के विरूद्ध आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के समक्ष दो निगरानियां प्रस्तुत की गई जिन्हें विद्वान अपर आयुक्त ने अपने निर्णयादेश दिनांक 08–04–2015 से स्वीकार करते हुए अपीलीय आदेश दिनांक 29–03–2014 एवं विचारण न्यायालय/तहसीलदार, कोटद्वार द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–03–2013 का वह अंश जिसमें विपक्षीगण के अंश खोजने की सीमा तक निरस्त किया गया तथा तहसीलदार, कोटद्वार की आख्या दिनांक 16–08–2013 पर सहायक कलेक्टर, कोटद्वार द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–09–2014 जो कि निगरानी प्रस्तुत होने के उपरान्त पारित आदेश है की पुष्टि की गई।

इसी आदेश दिनांक 08–04–2015 के विरूद्ध वर्तमान निगरानियां निदेशित है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित थे उनके द्वारा अवगत कराया गया उन्होने लिखित बहस प्रस्तुत कर रखी है उसी के आधार पर निगरानी में आदेश पारित किया जाए। मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का भली–भांति अध्ययन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क उल्लिखित किया है कि उत्तरदाता राजेन्द्र प्रसाद द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष जो निगरानियां पेश की है उसमें केवल अपील संख्या–23/12–13 में पारित सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कोटद्वार के निर्णयादेश दिनांक 29–03–2015 को खण्डित करने का अनुतोष मांगा गया है, कि अपर आयुक्त द्वारा निर्णयादेश दिनांक 08–04–2015 पारित किया गया है उससे सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कोटद्वार के निर्णयादेश दिनांक 01–09–2014 की पुष्टि की गई है जबकि उक्त निर्णय का कोई उल्लेख निगरानी में नही किया गया है और न ही अपर आयुक्त के समक्ष बहस के समय उक्त आदेश दिनांक 01–09–2014 का उल्लेख हुआ है, कि सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदार, कोटद्वार द्वारा जो निर्णयादेश पारित किये गये है उससे खतौनी से किसी का नाम नही हटाया गया है बल्कि मृतकों के स्थगन पर उनके वारिसों का नाम दर्ज किया गया है एवं कि विद्वान अपर आयुक्त का निर्णयादेश कानून एवं विधि के विपरीत है तथा खण्डित होने योग्य है।

दूसरी ओर उत्तरदाता ने अपनी लिखित बहस में यह उल्लेख किया है कि निगरानीकर्ता द्वारा वाद के तथ्यों के बारे में सही सही तथ्य नही लिखे गये है, कि निगरानीकर्ता यह स्वीकार करता है कि उत्तरदाता राजेन्द्र प्रसाद के पिता स्व0 हीरामणी ने उक्त दावी भूमि निगरानीकर्ता के पिता व दादा दादी से क्रय की है, कि दाखिल खारिज की कार्यवाही में वारिसों के अंश नही खोले जा सकते है, कि पक्षकारों के अंश केवल नियमित वाद में ही निर्धारित किये जा सकते है, कि उत्तरदाता राजेन्द्र प्रसाद का नाम उसके पिता

हीरामणी की मृत्यु के बाद अभिलेखों में दर्ज हो गया है, कि निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी में अपना पता जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश अंकित किया है इससे स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता के पूर्वज उपरोक्त दावी भूमि को विक्रय करके बिजनौर चले गये है एवं कि विद्वान अपर आयुक्त द्वारा निगरानीकर्ता का विरासती दाखिल खारिज निरस्त नही किया गया है तथा निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज होने योग्य है।

मूल नामान्तरण की कार्यवाही उत्तराधिकार के आधार पर चली जिसके लिए सम्बन्धित भूलेख निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक धारा–33क भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत स्वयं सक्षम थे। उत्तरदाता जो खाता संख्या–21 के सहखातेदार है के पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया जबकि उसे उद्घोषणा की प्रति नही प्रेषित की गई थी। उद्घोषणा की प्रति सहखातेदारों को न प्रेषित किये जाने की स्थिति में नामान्तरण की कार्यवाही पुनर्स्थापित की जानी चाहिए थी। इस सम्बन्ध में समयावधि की गणना नामान्तरण आदेश की जानकारी की तिथि से की जानी चाहिए थी एवं अत्यधिक कठोर तकनीकी दृष्टिकोण नही अपनाया जाना चाहिए था। तद्नुसार विद्वान तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 23–07–1983 के द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया जिसके विरूद्ध विद्वान परगनाधिकारी, कोटद्वार के समक्ष प्रस्तुत अपीलें भी दिनांक 27–11–1984 को अस्वीकृत कर दी गई जबकि उत्तरदातागण/सहखातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान कर अपील स्वीकार की जानी चाहिए थी। अपीलीय आदेश दिनांक 27–11–1984 के विरूद्ध आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष निगरानियां प्रस्तुत की गई जिन्हें विद्वान अपर आयुक्त ने स्वीकार कर विद्वान तहसीलदार, कोटद्वार के नामान्तरण आदेश से निगरानीकर्तागण के अंश/हिस्से खोले जाने सम्बन्धी भाग को निरस्त किया एवं उप जिलाधिकारी, कोटद्वार के आदेश दिनांक 01–09–2014 की पुष्टि की।

यह ज्ञातव्य है कि दिनांक 01–09–2014 का आदेश विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन निगरानी की अवधि में प्रशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत तहसीलदार की आख्या पर पारित किया गया है जिसे विचाराधीन निगरानी में आक्षेपित नही किया गया था न ही उसका कोई उल्लेख किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध क्षुब्ध व्यक्ति अर्थात् निगरानीकर्ता को विद्वान सहायक कलेक्टर, कोटद्वार के समक्ष ही आपत्ति करने एवं उसे वापस लिये जाने हेतु आवेदन प्रदान करने का अवसर प्राप्त था क्योंकि इस प्रकरण में प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया था। इसके अतिरिक्त उत्तरदाता राजेन्द्र प्रसाद खाता संख्या–21 में पूर्व से ही सहखातेदार अंकित है तद्नुसार विद्वान परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 01–09–2014 से उसके नाम का खतौनी में पुनर्अंकन का तात्पर्य स्पष्ट नही होता है। एक विचित्र तथ्य यह भी है कि जंहा विद्वान अपर आयुक्त ने सम्बन्धित खातेदारों के अंश अंकन सम्बन्धित आदेश को अपास्त किया है वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा विद्वान परगनाधिकारी, कोटद्वार के आदेश दिनांक 01–09–2014 जिसके अन्तर्गत उत्तरदाता राजेन्द्र प्रसाद का अंश खोला गया है की पुष्टि की गई है। खैर जो भी हो, विद्वान परगनाधिकारी,

कोटद्वार के आदेश दिनांक 01–09–2014 को विद्वान अपर आयुक्त के द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में सम्मिल्लित करने का कोई औचित्य नही था क्योंकि तत्सम्बन्धी कार्यवाही एक पृथक कार्यवाही थी। विद्वान अपर आयुक्त को इस सम्बन्ध में कोई क्षेत्राधिकार नही था।

इसके अतिरिक्त निगरानी स्तर पर सम्बन्धित अभिलेखों को साक्ष्य में ग्रहण करने सम्बन्धी कोई आदेश नही है एवं सम्बन्धित अभिलेख की छायाप्रतियां मात्र प्रस्तुत की गई है जो साक्ष्य में पठनीय नही थी। इस स्थिति में, मैं विद्वान अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 08–04–2015 का वह अंश जिसके द्वारा विद्वान परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 01–09–2014 को पुष्टि की गई है को स्थिर रहने योग्य नही समझता हूँ।

विद्वान अपर आयुक्त द्वारा उत्तरदाता राजेन्द्र प्रसाद की निगरानियां स्वीकार कर मूल नामान्तरण आदेश में अंश खोले जाने सम्बन्धी भाग को अपास्त करना विधिसम्मत है क्योंकि नामान्तरण आदेश में नामान्तरित व्यक्ति के नाम व पिता अथवा पति के नाम का उल्लेख किया जाना विधितः पर्याप्त है।

आदेश

निगरानियां स्वीकार विद्वान अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 08–04–2015 का वह अंश जिसके द्वारा विद्वान परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 01–09–2014 को पुष्टि की गई है को अपास्त किया जाता है। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **13–01–2017** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)